

श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक- 13.10.2014 को आयोजित सप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

उपरिस्थिति :-

यथा पंजी के अनुसार।

बैठक में समीक्षोपरान्त महत्वपूर्ण योजना/कार्यों के संदर्भ में निम्न निदेश दिये गये :-

1. खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जुलाई 2014 का 99 प्रतिशत वितरण हो चुका है। उल्लेखनीय है कि जिलान्तर्गत कुल 326 पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति है जिसमें से जुलाई 2014 में खाद्यान्न वितरण के संबंध में मात्र 126 निगरानी समिति के वितरण का प्रमाण पत्र प्राप्त होने की जानकारी दी गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि अगस्त, 2014 के खाद्यान्न के वितरण का प्रतिशत लगभग 80 है किन्तु अधिकांश पंचायत/वार्ड निगरानी समिति से शत प्रतिशत वितरण का प्रमाण पत्र प्राप्त है। यह खेदजनक स्थिति है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी वितरण का शत-प्रतिशत प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
2. अनुमण्डल निगरानी समिति की कार्यवाही अप्राप्त है। अनुमण्डल निगरानी समिति की शीघ्र बैठक कराकर पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के प्रमाण-पत्रों को संकलित कर उपलब्ध कराने का निदेश सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।
3. निर्वाचन कार्यों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि से अपर समाहर्ता स्तर तक के पदाधिकारियों का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट निर्गत करने हेतु त्रुटिरहित वांछित कागजात बेल्ट्रॉन को उपलब्ध संबंधी कार्रवाई असंतोषप्रद है। उक्त के संबंध में निर्वाचन विभाग के पत्रांक 6894, दिनांक 08.10.2014 के द्वारा पदाधिकारियों का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से संबंधी विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिनांक 05.09.2014 तक भेजने का निदेश दिया गया था। परन्तु त्रुटि निराकरण पश्चात् उक्त प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निदेश दिया जाता है कि निर्वाचन विभाग से प्राप्त सभी पत्रों पर ससमय कार्रवाई करते हुए मांगे गये प्रतिवेदन ससमय विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। इस संबंध में पूर्व में भी निदेश दिया जा चुका है। भविष्य में इसकी पुनर्वावृत्ति होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में ऑपरेशन भूमि दखल के संदर्भ में कृत कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि सभी अंचलाधिकारी से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग 15.10.2014 तक की गई है उसके पश्चात् अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ एवं प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ को विभागीय निदेश के आलोक में ससमय कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। चूंकि यह सरकार का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
5. समीक्षा के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 81 महिला पर्यवेक्षिका एवं 8 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पदस्थापित हैं। प्रत्येक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका प्रतिदिन कम से कम 2 केंद्रों का निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षणोपरान्त तत्संबंधी प्रतिवेदन उसी दिन शाम 5 बजे तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ को उपलब्ध करायेंगे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दैनिक रूप से तत्संबंधी

प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। जिन पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जायेगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

6. समीक्षा के दौरान प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि 5 एम0जे0सी0 एवं 94 सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले लंबित हैं। सभी सी0डब्लू0 जे0सी0 एवं एम0जे0सी0 के लंबित मामले का निष्पादन ससमय करने का निदेश दिया गया तथा एम0जे0सी के मामले में ससमय कारणपृच्छा दायर करने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि सरकारी अधिवक्तागण, माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्रवाई की जाय। अगामी बैठक में विभिन्न सी0डब्लू0जे0सी0 में पारित न्यायादेशों के अनुपालन की समीक्षा की जायेगी। प्रभारी पदाधिकारी, विधि प्रतिवेदन संकलित कर शुक्रवार तक उपलब्ध करायेंगे।
7. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विगत दो वर्षों में महादलित परिवारों को भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने संबंधी लाभुक-वार स्थल/घर का स्पष्ट फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी Google Drive पर अपलोड कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला आई0टी0 प्रबंधक इस कार्य में नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
8. ERMS पर सेवा निर्वाचकों का डाटा इंट्री के संबंध में पूछने पर उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह कार्य अविलम्ब पूर्ण कराते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन उप निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
9. RTPS के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नामांतरण से संबंधित आवेदनों का निस्तार अंचल कार्यालय स्तर से समुचित एवं नियमानुकूल रूप से नहीं किया जा रहा है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने भूमि सुधार उपसमाहर्ता-सह-अपीलीय प्राधिकार की समीक्षा कर समय सीमा के अन्तर्गत निष्पादित नहीं होने वाले मामलों के संबंध में समानुपातिक आर्थिक दंड के अधिरोपन एवं वसूली के संदर्भ में अंचल-वार प्रतिवेदन आगामी बैठक में उपलब्ध करायेंगे।
10. पंचायत सरकार भवन, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बनियादी केन्द्र, विद्यालय भवन, महादलित टोला में सामुदायिक भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु जमीन की उपलब्धता के संबंध में सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए ससमय भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा द्वारा अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन बैठक में उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जोकि खेदजनक है। भविष्य में तत्परता बरती जाय।
11. सप्ताहिक समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण कार्यों एवं पत्रों की समीक्षा की जाती है। उक्त बैठक हेतु स्थापना उपसमाहर्ता, पूर्णियाँ को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। वे समीक्षा बैठक हेतु प्रतिवेदन तैयार करने सहित बैठक हेतु सभी कार्रवाई करेंगे।

आगामी सप्ताहिक समीक्षा बैठक दिनांक 20.10.2014 को 10.30 बजे पूर्वा० में की जायेगी। जिसमें सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ-साथ भूमि सुधार उपसमाहर्ता भी उपस्थित रहेंगे। आगामी बैठक में बिहार भूमि निराकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत लंबित मामलों की भी समीक्षा की जायेगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

६०|-

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ

ज्ञापांक 3203 / सी०

पूर्णिमाँ, दिनांक 13/10/2014

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, पूर्णिमाँ/उप विकास आयुक्त, पूर्णिमाँ/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी०आर०डी०ए०, पूर्णिमाँ/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णिमाँ/जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिमाँ/स्थापना उपसमाहर्ता-सह-नोडल पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिमाँ/सभी नोडल पदाधिकारी, पूर्णिमाँ जिला/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिमाँ जिला/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्णिमाँ जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्णिमाँ जिला/सभी अंचलाधिकारी, पूर्णिमाँ जिला/मुख्यालय स्थित सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, पूर्णिमाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajeev

13/10/2014
जिला पदाधिकारी,
पूर्णिमाँ